

## Important Notice

### **Attention: candidates of CHSL-2020 examination seeking exemption from appearing in typing Test**

Candidates qualified in Tier-II of CHSL Exam, 2020, who are '*Persons with benchmark disability*' and who claim to be permanently unfit to take the Typing Test because of Physical disability and seek *exemption* from *appearing* and *qualifying* in Typing Test are required to send scanned copies of following documents on email ID: [sscmprraipur88@gmail.com](mailto:sscmprraipur88@gmail.com), **latest by 29/06/2022**.

1. **Medical Certificate** seeking exemption in prescribed format (**Annexure XIII** of the notice of Examination) from the competent Medical Authority, i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution
2. **Certificate of Disability** in the prescribed format as per Annexure-X to Annexure-XII of the notice of Examination, as applicable
3. **Undertaking** as per the format annexed to this notice

The candidates are required to produce all these documents in original before the Commission at the time of document verification. If any candidate fails to produce the same during document verification, Commission would cancel the candidature of such candidate for this exam and such candidates will have no claim against the Commission's decision.

**Any request in this regard with any alternative mode of submission and submission after prescribed date i.e. 29/06/2022 will not be entertained.**

## महत्त्वपूर्ण सूचना

संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा (CHSL) -2020 के वह उम्मीदवार जो TYPING TEST में उपस्थित होने और TYPING TEST से छूट प्राप्त करना चाहते हैं के सूचनार्थ .

परीक्षा के टियर- II में उत्तीर्ण वे उम्मीदवार, जो बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं और जो शारीरिक अक्षमता के कारण टाइपिंग टेस्ट देने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करते हैं और टाइपिंग टेस्ट में सम्मिलित होने से छूट लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ईमेल आईडी [sscmprraipur88@gmail.com](mailto:sscmprraipur88@gmail.com) पर दिनांक 29.06.2022 तक भेजने की आवश्यकता है -

- सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, यानी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सिविल सर्जन से निर्धारित प्रारूप (परीक्षा की सूचना का अनुलग्नक XIII) टाइपिंग में छूट की मांग करने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- परीक्षा की सूचना के अनुलग्नक X से XII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विकलांगता प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो।
- इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वचन पत्र ।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के समक्ष इन सभी दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई उम्मीदवार प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आयोग इस परीक्षा के लिए ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर देगा और ऐसे उम्मीदवारों का आयोग के फैसले के खिलाफ कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

इस संबंध में किसी भी अन्य तरीके से प्रमाण पत्रों को भेजने एवं निर्धारित तिथि अर्थात् 29.06.2022 के पश्चात भेजे गए प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

UNDERTAKING

I \_\_\_\_\_, Roll No. \_\_\_\_\_ am a candidate of CHSLE, 2020 Examination and would like to avail exemption from the requirement of appearing and qualifying in type test, in accordance with Para 13.7.7.7 of examination notice, as I am permanently unfit to take the typing test because of physical disability. I am herewith attaching a copy of requisite certificate in prescribed format (**annexure XIII**) of notice of examination, issued by competent medical authority i.e. a civil surgeon of a Government health care institution along with relevant medical certificate in prescribed format as per **annexure X** to **annexure XII** of the notice of examination.

I also undertake that I will produce all these documents in original during document verification before the Commission. If I fail to produce the same, the Commission may cancel my candidature for this examination and I will have no claim against the Commission's decision.

SIGNATURE.....

NAME OF CANDIDATE.....

ROLL NO.....

DATE.....

## वचनपत्र

मैं ..... रोल नंबर \_\_\_\_\_ CHSLE, 2020 परीक्षा का एक उम्मीदवार हूँ और परीक्षा के नोटिस के पैरा 13.7.7.7 के अनुसार, टाइप टेस्ट में उपस्थित होने और टाइपिंग परीक्षा से छूट का लाभ लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शारीरिक विकलांगता के कारण टाइपिंग देने में स्थायी रूप से अनफिट हूँ। मैं परीक्षा के नोटिस के निर्धारित प्रारूप (अनुबंध - XIII) में अपेक्षित प्रमाण पत्र की एक प्रति जो की सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी जो की सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का सिविल सर्जन हो, के द्वारा जारी किया गया हो, साथ ही निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक चिकित्सा प्रमाण पत्र परीक्षा विज्ञप्ति के अनुलग्नक X से XII के अनुसार संलग्न कर रहा हूँ।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं आयोग के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के दौरान इन सभी दस्तावेजों को मूल रूप में प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं इनको प्रस्तुत करने में विफल रहता हूँ, तो आयोग इस परीक्षा के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है और आयोग के फैसले के खिलाफ मेरा कोई दावा नहीं होगा।

हस्ताक्षर .....

अभ्यर्थी का नाम.....

अनुक्रमांक .....

दिनांक .....